<u>अनुबंध - I</u>

<u>एमएबी न रखने पर संबंधित प्रभारों का आरंभ</u>

बैंक मौजूदा समय में न्यूनतम औसत शेष बनाए नहीं रखने पर कोई प्रभार नहीं लेता है . अब यह निर्णय लिया गया है कि बचत बैंक खाते के साथ-साथ चालू खाते में न्यूनतम शेष बनाए नहीं रखने पर निम्नानुसार प्रभार लगाया जाएगा :-

उत्पाद का नाम	मौजूदा एक्यूबी आवश्यकता	संशोधित एमएबी आवश्यकता	मौजूदा प्रभार	एमएबी बनाए नहीं रखने पर लगने वाला प्रभार
<u>सुपर सेविंग / सुपर शक्ति / सुरक्षा प्लसः</u>	**वर्गीकरण** – **रु.** टियर ए – 5000/- टियर बी – 2500/-	**वर्गीकरण** – **रु.** महानगरी/ शहरी – 5,000/- अर्ध शहरी – 2,500/- ग्रामीण – 500/- एफ़आई – -	**<u>शून्य</u>**	बनाए रखे गए वास्तविक औसत शेष एवं न्यूनतम शेष, जिसके लिए खाता खोलते समय सहमति दी गई थी की राशि के अंतर पर 4% प्रति माह. ***के अधीन :*** *महानगरी / शहरी के लिए न्यूंतम 50/- रु.* *अर्ध शहरी के लिए न्यूनतम 25/- रु.* *ग्रामीण के लिए न्यूनतम 5/- रु.*
<u>पॉवर किड्ज़/ पॉवर किड्ज़ स्मार्ट</u>	500/- रु. या न्यूनतम 500/- रु. की आरडी, मासिक किस्त	500/- रु. या न्यूनतम 500/- रु. की आरडी, मासिक किस्त	**<u>शून्य</u>**	**शून्य**
<u>बीइंग मी</u> :	2500/-रु.	2500/-रु.		
<u>जुबली प्लस</u> :	शून्य	शून्य		
पेंशन सेविंग :	शून्य	शून्य		
<u>सामाजिक सुरक्षा पेंशन बचत :</u>	शून्य	शून्य		
<u>पारिवारिक खाता (भारतीय सेना के लिए)</u>	शून्य	शून्य		
<u>कॉरपोरेट पेरोल खंड</u>	शून्य	शून्य		
<u>बीएसबीडी खाते (सभी प्रकार)</u>	शून्य	शून्य	**<u>शून्य</u>**	**शून्य**

<u>टीएएससी खंड (बचत खाता +चालू खाता)</u>	शून्य	शून्य	**<u>शून्य</u>**	
पॉवरप्लस	50000/-रु.	50000/-रु.	**<u>शून्य</u>**	शून्य. तिमाही अंतराल की मौजूदा पद्धति की जगह मासिक अंतराल पर संबंधित श्रेणी में डाउन ग्रेडेड किया जाएगा.
प्रेफ़्रड	1, 00,000/-रु.	1, 00,000/-रु.		
रॉयल	3, 00,000/- रु.	3, 00,000/- रु.		
रॉयल प्लस	5,00.000/- रु.	5,00.000/- रु.		
फ्लेक्सि चालू खाता (रिटेल, सहकारी और अन्य बैंक)	शून्य	10,000/-रु.	**<u>शून्य</u>**	यदि एमएबी प्रति माह 5000/- रु. से अधिक बनाए रखा जाता है तो 500/- रु. प्रति माह. यदि एमएबी 5000/- रु. से कम बनाए रखा जाता है तो 750/- रु. प्रति माह.

<u>नोट की जाने वाली महत्वपूर्ण बिंदुएँ :-</u>

1. *उक्त प्रभारों पर लागू सेवा कर अलग से लगाया जाएगा.*

2. *बचत खाता के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि ग्राहक न्यूनतम शेष/ औसत न्यूनतम शेष जैसा की ग्राहक और बैंक के बीच सहमति हुई थी के अनुसार बनाए नहीं रखता है तो बैंक ग्राहक को स्पष्ट रूप से एसएमएस, ईमेल या पत्र इत्यादि के माध्यम से यह सू चित करेगा कि नोटिस की तारीख से 1 महीने के अंदर खाते में न्यूनतम शेष नहीं रखने पर दंड शुल्क लागू होगा.*
   तदनुसार, दिशनिर्देशों के अनुसार वैसे ग्राहक जिन्होंने मा सिक चक्र के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम शेष नहीं रखा है उन्हें इसके बारे में सूचना उनके मोबाईल नं. या ईमेल पते या बैंक के साथ पंजीकृत पते पर संबंधित चक्र के अंत में दी जाएगी और इसके बाद भी खाते में न्यूनतम शेष नहीं रखने पर सेवा शुल्क लिया जाएगा.

   <u>उदाहरण</u> : यदि ग्राहक का <u>बचत खाता</u> महानगरी शाखा के पास है तथा जिसमें मासिक औसत शेष (एमएबी) के रूप में 5000/- रु. रखना अनिवार्य है और यदि ग्राहक ने खाता खोलने समय दी गई सहमति के अनुसार संबंधित न्यूनतम शेष खाते में नहीं रखा है तो निम्नानुसार दंड शुल्क लिया जाएगा :

माह	शुल्क संरचना
जुलाई	जुलाई में महानगरी शाखा में एमएबी आवश्यकता – 5000/- रु. की है और ग्राहक ने 2500/- रु. ही बनाए रखा है. अतः 2500/ रु. की कमी है.
अगस्त	रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एमएबी वापस पूरा करने के लिए स्वीकृत ग्रेस अवधि – 1 माह.
सितंबर	**<u>स्थिति 1</u>** - एसएम एस/ ईमेल/ पत्र/ जारी करने के बावजूद यदि अगस्त की अवधि के लिए एमएबी 1000 रु. ही बनाए रखा जाता है. - जुलाई माह के लिए (महानगरी शाखा के लिए निर्धारित न्यूनतम 50 रु. के अधीन) खाते में रखे गए वास्तविक औसत शेष एवं खाता खोलते समय दी गई सहमति के अनुसार न्यूनतम शेष के अंतर पर प्रति माह 4% का प्रभार वसूल किया जाएगा. - शेष में कमी के अनुसार 100 रु प्रभार के रूप में लिया जाएगा अर्थात 2500*4/100. **<u>स्थिति 2</u>** - अगस्त में ग्राहक द्वारा एमएबी 7000/- रु. रखा जाता है. - जुलाई माह के लिए कोई प्रभा र नहीं लिया जाएगा क्योंकि ग्राहक द्वारा अगस्त में शेष को वापस फिर से पूरा कर दिया गया है.

इसी तरह, उक्त उदाहरण स्थिति 1 को उसी ग्राहक के संदर्भ में दूसरे मासिक चक्र अर्थात अगस्त के लिए लेते हैं – अतः एमएबी नहीं रखने पर दंड शुल्क की गणना निम्ननुसार होगी :-

माह	शुल्क संरचना
अगस्त	अगस्त में महानगरी शाखा में एमएबी आवश्यकता – 5000/- रु. की है और ग्राहक ने 1000/- रु. ही रखा है.
सितंबर	कमी – 4000/- रु. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एमएबी वापस पूरा करने के लिए स्वीकृत ग्रेस अवधि – 1 माह.

अक्तूबर	**<u>स्थिति 1</u>** - एसएमएस/ ईमेल/ पत्र/ जारी करने के बावजूद यदि सितंबर की अवधि के लिए एमएबी 500 रु. ही रखा जाता है तो - जुलाई माह के लिए (महानगरी शाखा के लिए निर्धारित न्यूनतम 50 रु. के अधीन) खाते में रखे गए वास्तविक औसत शेष एवं खाता खोलते समय दी गई सहमति के अनुसार न्यूनतम शेष के अंतर पर 4% का प्रभार लिया जाएगा. - शेष में कमी होने पर प्रभार शुल्क के रूप में गणना अनुसार 160 रु. अर्थात 4,000*4/100 लिया जाएगा **<u>स्थिति 2</u>** - सितंबर में ग्राहक द्वारा एमएबी 6000/- रु. रखा जाता है. - अगस्त माह के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा क्योंकि ग्राहक द्वारा सितंबर में शेष को वापस फिर से पूरा कर दिया गया है.